कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- जयपुर में पुलिस थाना कानोता पुलिस आयुक्तालय जयपुर (पूर्व) का सहायक उप निरीक्षक बनेसिंह 30,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया

जयपुर, दिंनाक 24 सितम्बर, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये बनेसिंह सहायक उप निरीक्षक को **30,000/- रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर नगर प्रथम-जयपुर ईकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि बनेसिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कानोता जयपुर (पूर्व) द्वारा परिवादी द्वारा पुलिस थाना कानोता में दर्ज करवाये गये परिवाद पर विपक्षी पार्टी को पाबन्द कराने के लिए तथा विपक्षी पार्टी द्वारा परिवादी के खिलाफ दिये गये परिवाद को फाईल कराने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की जाकर परिवादी को परेशान किया जा रहा है।

जिस पर जयपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय श्री आनन्द शर्मा** के सुपरविजन में ए.सी.बी. जयपुर नगर-प्रथम जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भूपेन्द्र** के नेतृत्व में आज मय ट्रेप टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी बनेसिंह, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कानोता जयपुर (पूर्व) आयुक्तालय जयपुर को परिवादी से 30,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।